राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :– एफ.4 (ई) (एन–701/81)/अलेसे–III/ 9538–9542 दिनांक :–30/9/2013

कोषाधिकारी,
प्रतापगढ़।

<u>विषय</u> :– श्री निरंजन लाल शर्मा, कनिष्ठ लेखाकार का निलंबन से बहाली के पश्चात् वेतन निर्धारण बाबत्।

विषयान्तर्गत लेख है कि श्री निरंजन लाल शर्मा, कनिष्ठ लेखाकार को विभागीय समसंख्यक कार्यालय आदेश क्रमांक 10014–23 दिनांक 04.04.2001 द्वारा अपराध संख्या 128/01 में दिनांक 24.03.2001 से निलंबित किया गया था। शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में समिति द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसरण में श्री निरंजन लाल शर्मा को निलंबन से बहाल करते हुए विभागीय आदेश संख्या 78/2011–12 दिनांक 22.07.2011 से कोषालय, प्रतापगढ़ में पदस्थापित किया गया। श्री शर्मा द्वारा कोषालय, प्रतापगढ़ में दिनांक 01.08.2011 को कार्यग्रहण किया गया।

अतः श्री निरंजन लाल शर्मा, कनिष्ठ लेखाकार का निलंबन से बहाली के पश्चात् राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2008 में इनकी निलंबन तिथि 24.03.2001 से पूर्व प्राप्त मूल वेतन के आधार पर वेतन निर्धारण किया जावे। श्री शर्मा को चयनित वेतनमान/एसीपी का लाभ फिलहाल देय नहीं होगा। इस सम्बन्ध में न्यायालय के निर्णय के पश्चात् ही निर्णय लिया जाना सम्भव होगा।

(महेन्द्र सिंह भूकर)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–II)

क्रमांक :– एफ.4 (ई) (एन–701/81)/अलेसे–III/9538–9542 दिनांक :–30/9/2013
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :–

1. श्री निरंजन लाल शर्मा, कनिष्ठ लेखाकार, कोषालय, प्रतापगढ़।
2. कम्प्यूटर शाखा (वेबसाइट हेतु)।
3. निजी/रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–II)